शैक्षणिक ऋण योजना

(Education Loan Scheme)

यह योजना वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है। इसे झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (JSMFDC), राँची के माध्यम से लागू किया जाता है। NMDFC द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र व्यक्तियों को व्यवसायिक एवं नौकरी उन्मुख शिक्षा देने के उद्देश्य से शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराती है। इस योजना के अंतर्गत, **''तकनीकी व व्यवसायिक पाठ्यक्रमों''** के लिए जो कि 5 वर्ष की अवधि से ज्यादा के न हों, प्रतिवर्ष 4.00 लाख रू० की दर से अधिकतम 20.00 लाख रू० का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, विदेशों में पढ़ने वाले पाठ्यक्रमों के लिए, जो कि 5 वर्ष की अवधि से ज्यादा के न हों, प्रतिवर्ष 6.00 लाख रू० की दर से अधिकतम 30.00 लाख रू० का ऋण उपलब्ध है।

क्र० सं०	मापदंड (Parameters)	स्कीम का ब्योरा	
		क्रेडिट लाईन 1	क्रेडिट लाईन 2
1	अधिकतम ऋण राशि	5 वर्ष की अधिकतम अवधि के साथ भारत में व्यवसायिक और रोजगारन्मुखी डिग्री कोर्स के लिए प्रतिवर्ष 4.00 लाख रू० की दर से अधिकतम 20.00 लाख रू० तक। 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के साथ 'विदेश में कोर्स' के लिए प्रतिवर्ष 6.00 लाख रू० की दर से 30.00 लाख रू० तक।	5 वर्ष की अधिकतम अवधि के साथ भारत में व्यवसायिक और रोजगारन्मुखी डिग्री कोर्स के लिए प्रतिवर्ष 4.00 लाख रू० की दर से अधिकतम 20.00 लाख रू० तक। 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के साथ 'विदेश में कोर्स' के लिए प्रतिवर्ष 6.00 लाख रू० की दर से 30.00 लाख रू० तक।
2	लाभार्थियों के लिए ब्याज दर	3% वार्षिक	8% p.a. पुरूष के लिए 5% p.a महिला के लिए
3	लाभार्थियों के लिए पुनर्भुगतान की अवधि	5 वर्ष	5 वर्ष
4	ऋण स्थगन अवधि (Moratorium Period)	पाठ्यक्रम पूर्ण होने के 6 (छ:) माह बाद अथवा नौकरी हाने के बाद जो भी पहले है।	पाठ्यक्रम पूर्ण होने के 6 (छ:) माह बाद अथवा नौकरी हाने के बाद जो भी पहले है।
5	वित्त पोषण के साधन NMDFC:JSMFDC:Beneficiery	90:5:5	90:5:5